(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी — जोगेन्द्रसिंह (RAS)

प्रकरण सं० - 37/17 — दायर दिनांक 23.06.17

घनश्याम पुत्र श्री भगवान्या जाति जोगी निवासी नगला सुक्कू मजरा गोंगेरा तहसील - भुसावर ----वादी

बनाम

1. सन्तरा पत्नी जगराम
2. सरमनी पत्नी शिवराम
3. राजो पत्नी माखन
4. पुष्पा पत्नी देशराज

} जातियान जोगी निवासी ग्राम नगला सुक्कू मजरा गोंगेरा तहसील भुसावर

5. खेमचन्द पुत्र श्री शान्ती प्रकाश जाति वैश्य निवासी सलेमपुरकलां
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर

दावा विभाजन एवं हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 RTA

अधिवक्ता - श्री सुरेन्द्र चौधरी - वादी

निर्णय दिनांक 25.03.2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गोंगेरा तहसील भुसावर आराजी खसरा नम्बर 134 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि में वादी का हिस्सा 1/4 प्रतिवादीगण 1लगायत 4 का हिस्सा 135/316 में बाहिस्सा बराबर के एवं प्रतिवादीगण सं० 5 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा बाके ग्राम गोंगेरा में 102/316 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है।

प्रतिवादीगण बदमाश किस्म के व्यक्ते हैं और काश्त करने में बाधा रुकावट पैदा करते रहते हैं जिससे वादी को काश्त करने में परेशानी आती है।

दिनांक 22.5.2017 को बामुकाम नगला सुक्कू [illegible] भुसावर में प्रतिवादीगण से उपरोक्त आराजी [illegible] अनुसार बाई मौहस एवं बाकण्ड विभाजन [illegible] खाते कायम कराने को कहा गया तो उन्हें [illegible] इन्कार कर दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

अतः वादी उपरोक्त आराजीयात वादी एवं प्रति वादीगण के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन कराया जाकर अलग-2 खाते कायम किये जाने एवं प्रति वादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाने बाबत् निवेदन किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रति वादीगण को तलबी जरिये रजिस्टर्ड डांक द्वारा को गई नोटिस की बाद तामील प्रति वादीगण सं० 1, 2, 3, 4, 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया अतः बार-2 इन्तजार के बाद उनके विरुद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई।

वादी अधिवक्ता को सुनाआया तथा जमा बन्दी में दर्ज खाते दारान के मध्य प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26.7.2019 को जारी की गई PD की पालना में विभाजन प्रस्ताव दिनांक दिनांक 20-11-20 को शामिल पत्रावली किया गया।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार भुसावर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया! विभाजन प्रस्ताव अनुसार नियमों के परिप्रेक्ष्य दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं!

अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रति वादीगण को खातेदार दर्ज किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी होवे।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

जोगेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी

जोगेन्द्र सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या - 37/17

दायर दिनांक 23.6.17

घनश्याम पुत्र श्री भगवान्या जाति जोगी निवासी नगला सुक्खू मजरा जोगेरा तहसील मुसावर

---वादी

बनाम

1. सन्तरा पत्नी जगराम
2. सरमनी पत्नी शिवराम
3. राजो पत्नी माखन
4. पुष्पा पत्नी देशराज

} जातियान जोगी निवासीयान ग्राम नगला सुक्खू मजरा जोगेरा तहसील मुसावर

5. खेमचन्द पुत्र श्री शान्ती प्रकाश जाति वैश्य निवासी सलेमपुर-कलाँ तहसील मुसावर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुसावर

दावा धारा 53 व 188 RTA

अधिवक्ता - श्री सुरेन्द्र चौधरी - वादी

डिक्री दिनांक 25.03.2022

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है तहसीलदार मुसावर विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को खातेदार दर्ज करे, विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

यह आज दिनांक 25.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से दी गई।

जोगेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
मुसावर (भरतपुर)